

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 2472/2011/सिरोही.

2. अपील संख्या - 2473/2011/सिरोही.

मैसर्स अरावली ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा० लिमिटेड,  
केसरपुरा रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, शिवगंज, सिरोही.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलों उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या क्रमशः 35/सीएसटी व 36/आरवेट/सिरोही/10-11 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 23.05.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007-08 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61, 65 तथा वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 61, 65 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 03.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित समान बिन्दु निहित होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी को राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के अन्तर्गत 25.08.1999 से करमुक्ति का लाभ लेने हेतु पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया हुआ था, परन्तु अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा विक्रय बिलों में शत-प्रतिशत कर वसूल कर लिया गया। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि

लगातार.....2






के केन्द्रीय अधिनियम व वेट अधिनियम के तहत पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.03.2010 को पारित करते हुए संग्रहित कर का मय ब्याज आरोपण किया गया, साथ ही इसे करापवंचन का कृत्य मानकर वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलें की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलें अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को प्रोत्साहन योजना के तहत करमुक्ति का लाभ प्राप्त था एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/TAX/2005-31 दिनांक 31.3.2006 के अनुसार अपीलार्थी को वेट अधिनियम लागू होने के पश्चात भी यह लाभ प्राप्त था अतः कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा विधिवत प्राप्त प्रोत्साहन योजना के तहत दी गई छूट को दिनांक 01.04.2006 से वेट अधिनियम लागू होने के पश्चात बिलों में कर का संग्रहण किया जाना अनिवार्य मानते हुये कर संग्रहित किया गया था एवं उसकी सूचना प्रस्तुत किये गये विवरण पत्रों में दी गई थी तथा अपनी लेखा पुस्तकों में भी इसकी प्रविष्टि की गई थी। अग्रिम कथन किया कि दिनांक 01.04.2006 से वेट अधिनियम लागू होने एवं नये प्रावधानों के तहत विक्रय प्रोत्साहन योजना का लाभ लिये जाने संबंधी ज्ञान नहीं होने से उनके द्वारा पूरे कर का संग्रहण कर विवरण पत्रों में आउटपुट टैक्स योजना अनुसार बताया गया था क्योंकि जो छूट उन्हें प्राप्त थी उसका दायित्व न होने के विचार के कारण दिनांक 01.04.2006 से पूर्व के प्रावधानों के अनुसार विवरण पत्र प्रस्तुत किये गये थे परन्तु किसी भी तरह की कर चोरी नहीं की गई थी व बहियातों से नहीं छुपाया गया था अतः अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना पूर्णतः विधिविरुद्ध है। उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर न तो कोई विचार किया गया व न ही इसका कोई विवेचन किया गया। कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू के आलोक में उनके समस्त संब्यवहार उनकी लेखा-पुस्तकों में इन्द्राजित होने के कारण धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण अनुचित है।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधिसूचना दिनांक 31.3.2006 का कोई लाभ नहीं लिया गया था, जिसके तहत प्रोत्साहन योजना के लाभ को वेट अधिनियम लागू होने के बाद आस्थगन योजना के तहत शेष लाभ प्राप्त कर सकते थे या यही विकल्प

3/



लगातार.....3

लेने पर उन्हें करमुक्ति का लाभ लेने पर कर वसूली नहीं की जा सकती थी परन्तु व्यवसायी ने दिनांक 31.3.2006 की अधिसूचना अनुसार कर आस्थगन का लाभ नहीं लिया बल्कि करमुक्ति के लाभ की सीमा के बजाय पूर्ण दर से कर वसूल कर लिया गया। अतः कर निर्धारण आदेश विधिसम्मत है।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई व कर निर्धारण आदेश का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में अपीलार्थी की ओर से यह विवाद नहीं किया गया है कि उनके द्वारा की गई बिक्री पर अपने ग्राहकों से पूर्ण दर से वैट वसूल किया गया था। अपीलार्थी व्यवसायी को प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत करमुक्ति के प्रमाण पत्र के अनुसार वैट अधिनियम 2008 के अनुसार वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात भी करमुक्ति का लाभ प्राप्त था अतः राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.3.2006 के अनुसार वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात प्रोत्साहन योजना के लाभ को नई आस्थगन योजना में हस्तांतरित किया जा सकता था परन्तु अपीलार्थी द्वारा नई आस्थगन योजना का लाभ न लेकर पुरानी योजना का लाभ लेना जारी रखा गया परन्तु वैट अधिनियम लागू होने से करमुक्ति के बिल जारी करने के बजाए पूरा वैट वसूल कर लिया गया एवं वसूल किये गये कर को स्वयं के पास रखते हुये आस्थगन का लाभ लिया गया, जो विधि अनुकूल नहीं था क्योंकि यदि अधिसूचना दिनांक 01.04.2006 का विकल्प नहीं लिया गया था, तब पूर्व प्राप्त प्रमाण-पत्र अनुसार अधिकृत सीमा तक करमुक्ति के बिल जारी किया जाना आवश्यक था परन्तु अपीलार्थी द्वारा बिलों में अपने ग्राहकों से पूरे कर की वसूली की गई है। इसी तरह केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में बिलों में कर राशि रुपये 1218/- अनधिकृत रूप से वसूल की गई। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिक वसूली गई राशि रुपये 1,70,572/- एवं रुपये 1218/- का करारोपण मय ब्याज किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इसकी पुष्टि करने में कोई भूल नहीं की गई है।

7. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत जो शास्ति आरोपित की गई है उस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। इस पर विचार किया गया। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने संव्यवहारों को बहियात में प्रविष्ट किया हुआ था एवं विवरण पत्रों में भी पूरे टर्नओवर को दर्शाया हुआ था परन्तु वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात कर वसूल किये जाने की अनिवार्यता की सलाह अनुसार पूर्ण कर वसूल किया गया था एवं जानकारी के अभाव में आस्थगन योजना का


लगातार.....4

3/


विकल्प नहीं लिया गया था, जबकि अपीलार्थी को वह लाभ प्राप्त हो सकता था इसीलिये उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्रों को विभाग द्वारा भी विवादित नहीं किया गया बल्कि लगातार स्वीकार किया गया था। प्रकरण में उक्त तथ्यों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा समस्त संब्यवहारों को लेखा-पुस्तकों में इंद्राजित किया हुआ था तथा पूरे टर्नओवर के विवरण पत्र भी प्रस्तुत किये हुये थे, ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 वी.एस.टी. 249 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के आलोक में उचित नहीं होने के कारण आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है।

8. फलतः अपीलार्थी की दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की जाती है एवं वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।



( ओमकार सिंह आशिया )  
सदस्य



( के. एल. जैन )  
सदस्य